निर्णय सहित या अन्तिम आदेश

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | न्यायालय व न्यायिक अधिकारी के इस हुक्म की तामील के बारे में |
|---|---|---|
| 11.17 | आज प्रत्यर्थी पार्टी वादी के प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय से लम्बा की गई। पार्टी ने मय संशोधन प्रस्तावित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 15 नियम 5 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. पर निवेदन किया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 2.11.17 को निकाले गए दावा प्रस्तावित राजीनामा डिक्री किया जावे। प्रस्तावित राजीनामा के ग.न. 222/0.21, 214/0.27 वाले ग्राम सोहना खुर्द प्रति० के 3 लगा.14 किशनप्यारी, रतन सिंह, विजय सिंह, जयसिंह सोहना व मोहना को बराबर हिस्से बराबर दिये गये, लेकिन केवल लिखते समय सहवश प्रतिवादी रतन सिंह प्रति० का नाम छूट गया जो स्वीकृत मानवीय भूल है जिसे दुरुस्त कर निर्णय डिक्री दि० 2.11.17 में संशोधन कराया जावे।<br>हमने प्रार्थी पार्टी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली से उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया, जिसके अनुसार ग.न. 222/0.21, 214/0.27 प्रति० किशनप्यारी, रतन सिंह, जयसिंह विजयसिंह, सोहना, मोहना के हिस्से में बराबर आये हैं, जबकि निर्णय व डिक्री में उक्त नम्बरान प्रतिवादी किशनप्यारी, विजयसिंह, जयसिंह, सोहना, मोहना को बराबर" दर्ज हो गया जो लिपिकीय भूल से रतनसिंह का नाम टंकित होने से रह गया है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी पार्टी का प्रा० पत्र 152 सी/सी स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय डिक्री दिनांक 02.11.17 में "ग.नं. 214/0.27, 222/0.21 पर प्रतिवादी किशनप्यारी, विजयसिंह जयसिंह, सोहना, मोहना को बराबर" के स्थान पर "प्रतिवादी किशनप्यारी, रतनसिंह विजयसिंह, जयसिंह, सोहना, मोहना को बराबर बराबर" संशोधित किया जाता है। [illegible] का शेष निर्णय व डिक्री [illegible] अंकित किया जावे।" [illegible] होना दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राजस्व<br>(राजवीर सिंह यादव) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:45:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner